

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 05)/2025/ई-10406

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई. टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि दिनांक 01.04.2025 अथवा संविदा निष्पादन की दिनांक जो भी बाद में हो से 31-03-2027 तक के लिये) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

| क्र.स. | ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक | कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है | ठेका क्षेत्र का विवरण | ठेके का प्रकार | खनिज का नाम | ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण | ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में) | बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि | ऑनलाईन बोली की दिनांक | ऑनलाईन बोली का समय |
|--------|-----------------------------|--|--|----------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 261 | खनि अभियन्ता, नागौर | जिला नागौर की तहसील नागौर व जायल की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी संग्रहण एवं उक्त क्षेत्र में खनिज जिप्सम के स्वीकृत एसटीपी से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी, प्रीमियम शुल्क एवं परमिट शुल्क संग्रहण ठेका | आरसीसी/ईआरसीसी | जिप्सम | अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 103313093 | 10.03.25 | 11.03.25 | 10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर |
| 2 | 8 | खनि अभियन्ता, अजमेर | जिला अजमेर की तहसील पीसांगन की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर | ईआरसीसी | चुनाई पत्थर | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 10690786 | 10.03.25 | 11.03.25 | 11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम. |
| 3 | 92 | सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड | जिला झालावाड की राजस्व सीमा में खनिज सैण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप) | ईआरसीसी | सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप) | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 21849051 | 10.03.25 | 11.03.25 | 12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम. |
| 4 | 260A | सहायक खनि अभियन्ता, टोंक | सम्पूर्ण जिला टोंक की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट | ईआरसीसी | ग्रेनाइट | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 435079810 | 10.03.25 | 11.03.25 | 01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम. |



| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|--|---------|--|---|----------|----------|----------|------------------------------|
| 5 | 55 | सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली | जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील बहरोड, नीमराणा एवं माण्डन की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, स्लेट स्टोन | ईआरसीसी | चेजा पत्थर, स्लेट स्टोन | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 9986310 | 10.03.25 | 11.03.25 | 02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम. |
| 6 | 36 | सहायक खनि अभियन्ता, चुरु | जिला चुरू की तहसील सुजानगढ के क्षेत्र सारोठिया, जीली, परेवडा, चरला, कोडासर, जाटान एवं तहसील बीदासर के क्षेत्र जेतासर, मानपुरा (छोटी घंटियाल), पालास, सडू बडी व बीदासर (कॉरी क्षेत्र को छोडकर) एवं जिला बीकानेर की तहसील श्रीडुंगरगढ के ग्राम बाडेला की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशाली खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मैसेनरी स्टोन | ईआरसीसी | मेसेनरी स्टोन | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 78667358 | 10.03.25 | 11.03.25 | 02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम. |
| 7 | 167 | सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास | जिला भरतपुर की तहसील वैर, भुसावर, बयाना व जिला डीग की तहसील पहाडी एवं नगर की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, रेडऑकर, यलोऑकर एवं फायरक्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, रेडऑकर, यलोऑकर एवं फायरक्ले | ईआरसीसी | सिलिकासेण्ड, रेडऑकर, यलोऑकर एवं फायरक्ले | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 88677333 | 10.03.25 | 11.03.25 | 03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम. |
| 8 | 111 | खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी | जिला कोटा की तहसील सांगोद व कनवास की राजस्व सीमा से खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मैसेनरी स्टोन | ईआरसीसी | मेसेनरी स्टोन | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 2129523 | 10.03.25 | 11.03.25 | 04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम. |
| 9 | 67 | खनि अभियन्ता, अलवर | जिला कोटपूतली-बहरोड की बानसूर की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मैसेनरी स्टोन | ईआरसीसी | मेसेनरी स्टोन | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 64560870 | 11.03.25 | 12.03.25 | 10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर |
| 10 | 1 | खनि अभियन्ता, नागौर | जिला नागौर की तहसील खींवर की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मैसेनरी स्टोन | ईआरसीसी | मेसेनरी स्टोन | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 22493097 | 11.03.25 | 12.03.25 | 11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम. |
| 11 | 50 (51, 52) | सहायक खनि अभियन्ता, टोंक | जिला टोंक की संपूर्ण राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट | ईआरसीसी | चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 20724750 | 11.03.25 | 12.03.25 | 12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम. |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------------------------|--|-----------|-----------------------------|---|------------|----------|----------|-------------------------------|
| 12 | 6 | खनि अभियन्ता, अजमेर | जिला अजमेर की तहसील नसीराबाद की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर | ईआरसीसी | चुनाई पत्थर | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 2082536 | 11.03.25 | 12.03.25 | 01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम. |
| 13 | 218 | खनि अभियन्ता, जोधपुर | जिला जोधपुर तहसील जोधपुर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन | आर.सी.सी. | सेण्ड स्टोन | अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 1242842940 | 11.03.25 | 12.03.25 | 02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम. |
| 14 | 87 | खनि अभियन्ता, कोटा | जिला कोटा की तहसील दीगोद, पीपल्दा, व जिला बारां की तहसील अंता व मांगरोल की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं सेण्ड स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन | ईआरसीसी | मेसेनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 22491540 | 11.03.25 | 12.03.25 | 03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम. |
| 15 | 96 | खनि अभियन्ता, राजसमंद-1 | सम्पूर्ण राजसमन्द जिले के राजस्व सीमा में आने वाले खनिज मार्बल के स्वीकृत खनन पट्टों एवं जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर के राजस्व ग्राम लगेतखेडा, बोरवा, शेखावास, बार, सारोठ, बिलियावास व इंगरखेडा में आने वाले खनिज मार्बल के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल | ईआरसीसी | मार्बल | अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी | 1269615690 | 11.03.25 | 12.03.25 | 04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम. |

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें—

- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञापित के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्द्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस / परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस / परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं।
- वार्षिक ठेका राशि रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

- 7 ई-नीलामी हेतु गार्डललाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रुपये 10000/- व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिर से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें।
 1. यदि बोलीदाता **Individual** (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
 - iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
 - v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - vi PAN card / GSTIN की प्रति।
 - vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढ़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(दीपक तंवर)
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 05)/2025/ई- 10406

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम. एस. टी. सी. लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द- खनि अभियन्ता (याचिका), जयपुर/जोधपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/प.6(1)कास/प. केवियट/2024/1231 दिनांक 06-03-2024 के क्रम में सूचनार्थ।

य -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमबर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरु/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी।

(दीपक तंवर)
निदेशक